



इन्दौर विकास प्राधिकरण INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक -179

दिनांक-14.08.2023

योजना क्रमांक 136 (निरंजनपुर)
में बहुमंजिला भवन “गुलमोहर कॉम्प्लेक्स”
के 1 बी.एच.के. आवासीय फ्लेट्स (प्रकोष्ठ) को नियत
मूल्य पर भू-स्वामी अधिकार पर लॉटरी के माध्यम से
व्ययन हेतु आवेदन प्रपत्र

--:: प्रस्तावित बहुमंजिला भवन का फोटो ::--



“जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य है”



आवेदक के हस्ताक्षर

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

नियत मूल्य पर भू-स्वामी अधिकार पर लॉटरी के माध्यम से
संपत्ति के व्ययन हेतु आवेदन-प्रपत्र

विज्ञापन क्रमांक 179

दिनांक. 14.08.2023

आवेदन प्रपत्र क्रमांक
आरक्षण श्रेणी.....

प्रति,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण
इन्दौर (म.प्र.)

आवेदक का नाम 1.....
2.....

आवेदक का
पासपोर्ट
आकार का
छाया चित्र
यहां चिपकाया
जाए

महोदय,

निवेदन है कि विज्ञापन क्रमांक 179 दिनांक 14.08.2023 के अंतर्गत मेरे द्वारा चयनित इस प्रपत्र के बिन्दु क्र.16 के विकल्पों के तहत नियत मूल्य पर भू-स्वामी अधिकार पर निर्मित प्रकोष्ठ (Flat) आवंटित करने का कष्ट करें। अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है:

01. आवेदक का नाम : 1.....
2.....
02. पिता/पति का नाम : 1.....
2.....
03. आवेदक की आयु :वर्ष
04. पूरा पता :
.....
पिनकोड.....
05. दूरभाष/मोबाईल नंबर/ई-मेल : (कार्यालय)(निवास)
ई-मेल.....
06. कुल वार्षिक आय : रूपये
07. यदि निजी व्यवसाय में हैं,तो उसका ब्यौरा:
दूरभाष/मोबाईल नंबर/ई-मेल : (कार्यालय)(निवास)
ई-मेल.....
08. निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार शपथ-पत्र (Affidavit)संलग्न है : हां/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

9. मैं/हम आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि यदि मेरा/हमारा आवेदन प्रपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम प्रकोष्ठ की बकाया अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निर्धारित समय पर जमा कर दूंगा/देंगे।
10. मैं/हम आश्वासन देता/देते हैं कि मैं/हम शासन तथा प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर, बनाये गये नियमों/विनियमों का पालन करूंगा/करेंगे।
11. मैंने/हमने प्राधिकरण के प्रकोष्ठ के आवंटन से संबंधित निबंधन, शर्तों तथा नियमों को समझ लिया है तथा ये मुझे/हमें स्वीकार हैं।
12. मैंने/हमने मौके पर निर्मित संपत्ति का निरीक्षण कर लिया है, पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।
13. यदि आवेदन प्रपत्रके अंतर्गत दी गई कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को मेरे/हमारे आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा जमा की गई पंजीयन राशि को समपहृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. यदि लॉटरी में प्रकोष्ठ का आवंटन होता है तो उस दशा में :-
 (अ) आवेदन प्रपत्र के पेज नं. 2 व 3 में खाली स्थान की पूर्ति कर के मूल आवेदन प्रपत्र तथा शपथ पत्र प्राधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
 (ब) विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति के लिये जाति प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति प्राधिकारी कार्यालय में जमा करना होगी। (यदि लागू हो तो)
15. यह कि मैंने/हमने आवेदन प्रपत्र की समस्त निबंधन एवं शर्तों जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नियम सम्मिलित हैं, भली भांति पढ़ लिया है और समझ लिया है, जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार हैं।
16. निम्नांकित विकल्प क्रमांक 1 से 5 अनुसार लॉटरी के पाँचों चक्र (राउंड) में से किसी भी चक्र (राउंड) में खुलने वाला कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक मुझे मान्य होगा। अन्यथा विकल्प-6 अनुसार कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर मुझे स्वीकार होगा तथा मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।

(निम्न तालिका में आवेदक स्वयं चयनित प्रकोष्ठ क्रमांक का उल्लेख करें)

विकल्प क्रमांक	प्रकोष्ठ क्रमांक
1	
2	
3	
4	
5	
6	उक्त पाँचों चक्र (राउंड) के बाद शेष कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर मुझे स्वीकार होगा।

अपलोड करने हेतु दस्तावेज:

1. निबंधन तथा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति
2. नोटरी प्रमाणीकृत शपथ-पत्र (Affidavit)
3. आरक्षण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)
4. आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक के हस्ताक्षर

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर
नियत मूल्य पर भू-स्वामी अधिकार पर व्ययन के लिये निबन्धन तथा शर्तें

एक : सामान्य शर्तें (General Terms)

1. विज्ञापन के अधीन क्रमांकित प्रकोष्ठ का आवंटन नियत मूल्य पर भू-स्वामी अधिकार पर लॉटरी प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। लॉटरी के पाँचों चक्र (राउण्ड) में से किसी भी चक्र (राउण्ड) में खुलने वाला कोई भी क्रमांकित प्रकोष्ठ आवेदक को मान्य होगा। अन्यथा विकल्प-6 अनुसार कोई भी क्रमांकित प्रकोष्ठ खुलने पर आवेदक को स्वीकार होगा तथा आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।
3. सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके/उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत इससे पूर्व नियत दर/मूल्य पर कोई प्रकोष्ठ की प्राप्ति नहीं की गई है।
4. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उस दशा में उसे इस संबंध में प्राधिकरण को लिखित में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
5. (अ) यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तारीख से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् शेष राशि आवेदक को लौटा दी जाएगी। आवेदन प्रपत्र का शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
(ब) यदि कोई आवेदक अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तथा लॉटरी की दिनांक के बीच अपना आवेदन वापस लेता है तो आवेदक द्वारा जमा किए गए पंजीकरण फीस में से 20 प्रतिशत रकम घटाने के पश्चात् शेष रकम आवेदक को वापस की जाएगी।
लॉटरी खुलने या संपत्ति के आवंटन आहरण पर मांग पर आवेदन के साथ जमा की गई रकम को वापस नहीं लौटाया जाएगा तथा इसे राजसात कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(स) यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञापन में उल्लेखित लॉटरी का आहरण किए जाने के उपरांत अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि को समपहत कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. जहां किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो, वहां विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होंगे। जहां आरक्षित श्रेणी की संपत्ति हेतु आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इ.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति के लिए	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
9	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेनाअधिकारी	जिला, सैनिक कल्याण बोर्ड
10	पत्रकार रिपोर्टर के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांगों के लिए	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
12	सांसद/विधायक के सदस्य के लिए	रासक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

दो: भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 25 प्रतिशत (आवेदन पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात शेष) राशि जमा करनी होगी।
2. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर रूपये 1000/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध-पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जिसे जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिती में उपरोक्त निबंधन तथा शर्तें एकपक्षीय रूप से आवंटिती पर बाध्यकारी होगी।
3. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 25 प्रतिशत (आवेदन पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात शेष) राशि तथा अनुबन्ध-पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
4. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता आरक्षण पत्र जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में प्रथम 25 प्रतिशत की राशि का भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो स्वमेव आरक्षण रद्द होकर पंजीयन राशि समपहृत (राजसात) हो जावेगी।
5. (अ) प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि जमा उपरांत प्रीमियम की शेष 75 प्रतिशत राशि तीन माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने की दिनांक से कुल 4 माह की अवधि में जमा करनी होगी। आवंटि द्वारा मांग करने पर व्ययन नियम, 2018 एवं यथासंशोधित दिनांक 09.04.2021 के नियम 11 (एक) अनुसार राशि अधिकतम 8 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान, 10 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करनी होगी। परन्तु उक्त मांग उपरोक्तानुसार आरक्षण पत्र जारी होने की दिनांक से 4 माह की अवधि में ही करना होगी।
(ब) प्रीमियम की राशि के संबंध में मांग अनुसार आवंटि यदि 2 वर्ष की अवधि में राशि जमा करने की सुविधा की मांग करता है तो उक्त अवधि का संधारण शुल्क तथा संपत्तिकर का वहन आवंटि द्वारा ही किया जावेगा, परन्तु आवंटि को कब्जा सम्पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात ही सौपा जावेगा।
(स) संधारण राशि व अन्य देय राशि जमा करने की तिथि की सूचना कब्जा देने के पूर्व पृथक से दी जावेगी।
(द) प्रकोष्ठ के प्रीमियम की संपूर्ण राशि, एवं निम्नानुसार संधारण शुल्क, सिंकिंग फण्ड एवं अन्य देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही कब्जा सौपा जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी। इन्दौर नगर पालिका निगम से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र क्रमांक 308 दिनांक 24.04.2018 एवं अधिभोग प्रमाण पत्र क्र. 3621 दिनांक 08.08.2019 को प्राप्त हो चुका है।

(1) संधारण शुल्क :

(अ) कम्प्लीशन/आक्युपेंसी सर्टिफिकेट(Completion/Occupancy Certificate) प्राप्त होने की दिनांक से 02 वर्ष तक बहुमंजिला भवन के कॉमन परिसर की हाउस किपिंग, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि कार्य हेतु संधारण की राशि प्राधिकारी द्वारा वहन की जावेगी। उक्त 02 वर्ष की अवधि के पश्चात् संधारण का कार्य गुलमोहर काम्पलेक्स रहवासी समिति द्वारा किया जावेगा, जिसका संधारण शुल्क रहवासी समिती द्वारा लिया जावेगा।

(ब) आवंटिती को गुलमोहर काम्पलेक्स रहवासी समिति की सदस्यता अनिवार्यतः स्वीकार्य करना होगी। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शुल्क आवंटिती को आवश्यक रूप से जमा करना होगा। निर्धारित मासिक शुल्क अदा नहीं करने पर समिति इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

(2) पार्किंग सुविधा :

(अ) गुलमोहर काम्पलेक्स में 1 बी.एच.के. प्लेटस् हेतु टू-व्हीलर पार्किंग की सुविधा निःशुल्क रहेगी।

(3) जी.एस.टी. :

नियमानुसार सभी शुल्को पर जी.एस.टी. एवं अन्य शुल्क आदि आवंटिती को पृथक से जमा करना होगा।

6. आवंटिती द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर या किशतो में भुगतान हेतु आवेदन न करने पर व्ययन नियम,2018 के नियम 12 अनुसार आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।
7. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो व्ययन नियम 2018 के नियम 25 अनुसार की जावेगी।
8. यदि संपत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बड़े हुवे क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना व्ययन नियम,2018 के नियम 32 के अनुसार की जावेगी।
9. आवंटिती/भू-स्वामी शासन, नगर पालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

तीन : संपत्ति को भू-स्वामी अधिकार पर प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है, जहां है के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा।
2. प्रकोष्ठ की प्रीमियम (अधिमूल्य) की संपूर्ण राशि एवं अन्य देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही प्राधिकरण के संपदा अधिकारी वर्ग-2 द्वारा संपत्ति के वास्तविक अधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी। ग्राही की अनुपस्थिति की दशा में संपत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया है, ऐसा माना जावेगा। परन्तु आवंटिती को भू-स्वामी अधिकार विलेख का निष्पादन पूर्ण अधिमूल्य की राशि की प्राप्ति के बाद ही किया जावेगा।
3. अधिमूल्य (प्रीमियम) की संपूर्ण राशि एवं अन्य देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा भू-स्वामी अधिकार विलेख दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के संपदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर आवंटिती को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से विलेख का पंजीकरण कराना होगा। आवंटिती अभिलेख के पंजीकरण से संबद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर उक्त विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. भू-स्वामीत्वधारी/भू-स्वामी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
5. जहां संपत्ति का अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन/वसीयत (natural devolution of heirship/will) के अनुग्रह में चाहा गया हो तो वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।

चार : आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास तथा भवन विनियम

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
2. आवंटिती सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।
3. (अ) कब्जा प्राप्ति के पश्चात् आवंटित प्रकोष्ठ की सुरक्षा एवं संधारण (रखरखाव) का उत्तरदायित्व आवंटिती का होगा।
(ब) अधिभोग प्रमाण पत्र (**Ocupancy certificate**) प्राप्त होने की दिनांक से 2 वर्ष के पश्चात् परिसर के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था हेतु पंजीकृत संस्था (रहवासी समिति) का गठन करना आवश्यक होगा।
(स) अधिभोग प्रमाण पत्र (**Ocupancy certificate**) प्राप्त होने की दिनांक से 2 वर्ष के पश्चात् परिसर के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था हेतु पंजीकृत संस्था (रहवासी समिति) द्वारा की जावेगी। इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर इसका उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा।
4. आवंटिती/भूमि-स्वामीत्वधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।
5. आवंटिती/भूमि-स्वामी त्वधारी कर के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम अथवा सेवा प्रदाय

आवेदक के हस्ताक्षर

हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां भू-स्वामी नगर पालिक निगम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।

6. आवंटित प्रकोष्ठ एवं बहुमंजिला भवन दोनों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जा सकेगा। यदि पूर्व निर्मित संरचना का उल्लंघन कर परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, आवंटिती पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्ति का भुगतान भी करना होगा।
7. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके अभिहीत उपयोग से पृथक होना पाया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, आवंटिती पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्ति का भुगतान भी करना होगा।
8. आवंटित प्रकोष्ठ एवं उसके परिसर की बाहरी विद्युत, स्वच्छता, पानी आदि व्यवस्था के परिवर्तन/परिवर्धन करते समय आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने का अधिकार सक्षम अधिकारियों को रहेगा।
9. बहुमंजिला भवन के कॉमन एरिया का व्यक्तिगत उपयोग अथवा अतिक्रमण नहीं किया जा सकेगा।

पांच : आवंटन का अन्तरण

“व्ययन नियम 2018 के नियम 36” अनुसार एवं समय समय पर प्रचलित संशोधित व्ययन नियम अनुसार मान्य होगी।

छह : अन्य निबन्धन तथा शर्तें

1. यदि आवेदन प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा से संबंधित निबन्धन तथा शर्तों में तथा “मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम, 2018” के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उद्भूत होती है तो यथासंशोधित “म.प्र. विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2018 बाध्यकारी होंगे।
2. उपरोक्त शर्तों में जहां पर भी “व्ययन नियम, 2018” का उल्लेख किया गया है, वहां व्ययन नियम, 2018 से तात्पर्य “म.प्र. विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2018” से है।
3. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का विशुद्धीकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां व्ययन हेतु सम्पत्ति के प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये इन शर्तों के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्तें भी बाध्यकारी होंगी।
4. आवेदन प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामाके निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
5. जहां कहीं शब्द “प्राधिकरण (Authority)” का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती (Permitted assignees) भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द “आवंटिती/भू-स्वामित्वधारी” का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

सात : विशेष शर्तें

1. विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। आवेदन प्रस्तुतकर्ताओं को समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वेबसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी आवेदन दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में है। यदि आवेदन प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से आवेदन प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के संबंध में पत्राचार ई-मेल आई.डी. पर सूचित किया जा सकेगा जिसे आपको सूचना प्राप्त हो गई है, यह माना जावेगा।
2. बिल्डिंग जिस भूखण्ड पर निर्मित है उस पर सभी फ्लेटधारको का समानुपातिक अधिकार रहेगा।
3. योजना क्रमांक 136 में भूखण्ड क्रमांक सी.एम.आर-1 पर निर्मित बहुमंजिला भवन गुलमोहर काम्पलेक्स का रेरा पंजीयन क्रमांक P-IND-17-352 Date 07-09-2017 है।

आवेदक के हस्ताक्षर

4. संपत्ति के भौतिक सत्यापन के संबंध में आवेदन प्रस्तुतकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन स्वीकृति पश्चात् कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।
5. पंजीयन राशि का भुगतान विज्ञापन में उल्लेखित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात प्राधिकारी कोष में किये गये भुगतान पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. पंजीयन राशि का भुगतान आवेदनकर्ता विज्ञापन में निर्धारित अंतिम दिनांक से कम से कम एक दिन पूर्व आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपी.आई./नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करे। यदि आवेदनकर्ता अंतिम दिनांक को पंजीयन राशि का भुगतान करता है और किसी भी कारण से सत्यापन के लिये आवेदक के लिये उपलब्ध नहीं है तो प्राधिकारी एवं सेवा प्रदाता या भुगतान गेटवे प्रदाता किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे प्रकरणों में किसी भी तरह से विचार नहीं किया जावेगा।
7. पंजीयन राशि जमा करते समय आवेदनकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की पंजीयन राशि के चालान में उल्लेखित विवरण के अनुसार आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. का भुगतान किया जावे। आवेदनकर्ता द्वारा भरे गये चालान में मे किसी भी प्रकार की विसंगती में किये गये भुगतान पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं पंजीयन राशि भुगतान के सत्यापन के लिये उपलब्ध नहीं होगा।
8. आवेदनकर्ता द्वारा पंजीयन राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किये गये भुगतान के संबंध में आवेदनकर्ता को प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक से चालान जनरेट करना होगा।
9. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही है। यदि इस आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी असत्य या गलत साबित होती है, तो उसके परिणाम के लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहेंगे।

दिनांक

.....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

- 1) No payment would be considered after the last day and time prescribed in advertisement. It is made clear that payment means payment made in the account of IDA.
- 2) It is advised that all applicants make payment via RTGS/NEFT/Debit Card/Credit Card/UPI/Net Banking at least one day in advance to the last day prescribed in advertisement. In the event applicant making payment on the last day and same is not available for the applicant for validation on account of any reason whatsoever, Indore Development Authority, Indore or Service provider or Payment gateway provider would not be held responsible in any manner. Such cases would not be considered in any manner.
- 3) It is applicant's responsibility to ensure that RTGS/NEFT payments are made to the exact details as mentioned in the challan. In the event of any discrepancy, payment would not be considered and would not be available for validation of registration amount payment.
- 4) In case of payment made via RTGS/NEFT, applicant is required to generate challan for every application since details in the challan are unique to the advertisement and applicant combination. Applicant is not supposed to use challan generated in one application for payment against another application.
- 5) I hereby declare that the information given in this application is true and correct. In case any information given in this application proves to be false or incorrect, I shall be responsible for the consequences.

Date.....

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature

(शपथ-पत्ररू. 100/-मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांकों पर सम्यक रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ-पत्र (Affidavit)

प्राधिकरण की सम्पत्तियों(आस्तियों)(assets) के लिए विहित

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :
मेरा नाम :
पिता/पति का नाम :
पता :
व्यवसाय :
आयु :
वार्षिक आय :
2. यह कि आवेदन के अन्तर्गत दी गई समस्त जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
3. यह कि मैंने निबंधन एवं शर्तें जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नियम सम्मिलित हैं, भली भांति समझ लिया है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार हैं।
4. यह कि आवेदन के अन्तर्गत कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्राधिकरण को मेरा आवेदन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. यह कि प्राधिकरण द्वारा मुझे नियत मूल्यके अंतर्गत अथवा किसी योजना के अधीन, किसी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत, जिसके लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित नहीं की गई है।
6. यह कि यह शपथ-पत्र इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 136 के अंतर्गत "गुलमोहर काम्पलेक्स" में नियत मूल्य पर भू-स्वामी अधिकार पर लॉटरी प्रणाली द्वारा प्रकोष्ठ को क्रय करने हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

शपथकर्ता

:: सत्यापन ::

मैं, पिता/पति श्रीसत्यापित करता हूँ/करती हूँ, मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांक ----- को सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता

1. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
2. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के लिये निर्देश

(अ) सामान्य निर्देश

- 1— **लॉटरी में भाग लेने हेतु प्रक्रिया**
लाटरी में भाग लेने हेतु प्रक्रिया की जानकारी आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न है (अनुलग्नक-ए)।
- 2— **आवेदन से संबंधित समस्त व्यय**
आवेदनतैयार करने एवं प्रस्तुत करने में जो भी व्यय होगा वह आवेदनकर्ता को स्वयं वहन करना होगा एवं उक्त व्यय के संबंध में आवेदनकर्ता को कोई भी कानूनी वाद/दावा प्राधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
- 3— **संपत्ति का भौतिक सत्यापन**
आवेदन प्रस्तुतकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन स्वीकृति पश्चात् कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

(ब) आवेदन प्रपत्र

- 1— **आवेदन प्रपत्र की विषय सूची**
आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज सम्मिलित है :
 - 1) आवेदन आमंत्रण विज्ञापन/विज्ञप्ति
 - 2) आवेदनकर्ता के लिये निर्देश
 - 3) लाटरी में भाग लेने हेतु प्रक्रिया
 - 4) अन्य कोई दस्तावेज, यदि उल्लेखित हो तो
- 2— **आवेदन विज्ञापन/दस्तावेजों का संशोधन**
 - 1) आवेदन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पूर्व प्राधिकारी द्वारा आवेदन विज्ञापन/दस्तावेज में यदि कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो वह सुधार/संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा केवल www.idaindore.org पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।
 - 2) सभी सुधार/संशोधन आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज के अभिन्न अंग होंगे।

(स) आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- 1— आवेदनकर्ता आमंत्रित आवेदन विज्ञापन/दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपने आवेदन को **ऑनलाईन** www.idaindore.org वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 2— **आवेदन दस्तावेज**
 - 1) आरक्षित श्रेणी का स्केन्ड स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
 - 2) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो उसे आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का स्केन्ड नोटरीकृत शपथ-पत्र
 - 3) आवेदनकर्ता यदि कंपनी/फर्म/संस्था हैं तो संबंधित समस्त दस्तावेज
 - अ) इकाई द्वारा आवेदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी स्केन्ड स्वप्रमाणित संकल्प।
 - ब) इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि) की स्केन्ड स्वप्रमाणित प्रति।
 - 4) अन्य कोई दस्तावेज हो जैसे-आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी./पेनकार्ड की स्केन्ड स्वप्रमाणित प्रति।

आवेदक के हस्ताक्षर

3— भाषा

आवेदन प्रपत्र एवं अन्य पत्राचार तथा आवेदन दस्तावेज की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी में होगी जो प्राधिकारी एवं आवेदनकर्ता पर समान रूप से लागू होगी। कोई दस्तावेज जो अन्य भाषा में हो तो उसे हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रस्तुत करना होगा।

4— लाटरी द्वारा संपत्ति का चयन

आवेदनकर्ता को संपत्ति क्रमांक एवं संपत्ति का चयन केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

5— आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि)

- 1) आवेदनकर्ता को विज्ञापन/आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) ऑनलाईन जमा करना होगी।
- 2) आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) की राशि का भुगतान केवल ऑनलाईन किया जाना होगा।
- 3) आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) की राशि के भुगतान किये बिना प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र अस्वीकार होंगे।
- 4) अन्य आवेदनकर्ता, जिनका आवेदन स्वीकार न किये गये हो लाटरी खोलने की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) की राशि लौटा दी जावेगी।

(द) आवेदन प्रपत्रों को खोलना**आवेदन प्रपत्र को खोलने की प्रक्रिया**

- 1) आवेदन खोलने के प्रथम चरण में निर्धारित दिनांक व समय अनुसार प्राधिकरण द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा।
- 2) आवश्यक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों, आवेदन दस्तावेज शुल्क तथा आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) के बिना प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार होंगे।
- 3) दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात् निर्धारित दिनांक व समय अनुसार केवल पात्र पाये गये आवेदन प्रस्तुतकर्ताओं के आवेदन की लाटरी खोली जावेगी।
- 4) ऐसे आवेदनकर्ता जो आवेदन जो लाटरी को खोलने के समय उपस्थित रहने को इच्छुक हो, वे लाटरी खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- 5) प्रस्तुत किये गये आवेदन का परिणाम लाटरी खोलने के अधिकतम 90 दिवस या इसके पूर्व घोषित किया जाएगा एवं इसे प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- 6) प्राधिकरण को किसी भी आवेदन/समस्त आवेदनकर्ताओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

लॉटरी में भाग लेने हेतु प्रक्रिया

- 1- आवेदनकर्ता द्वारा लॉटरी में पंजीकरण :
सभी आवेदनकर्ता को प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर रजिस्टर्ड करना आवश्यक होगा।
- 2- प्रमुख तिथियां:
प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र के विभिन्न चरण जैसे आवेदन प्रपत्र क्रय करने की अवधि व समय तथा आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने का समय एवं दिनांक तथा आवेदन प्रपत्र समाप्ति का समय एवं दिनांक आवेदन प्रपत्र के चरणों के अनुसार बंद कर दिया जावेगा, ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने कार्य एवं जिम्मेदारी के साथ लाटरी में भाग लेने हेतु आवेदनप्रपत्र में उल्लेखित सभी प्रमुख तिथियों का पालन सख्ती से करें।
- 3- आवेदनप्रपत्र को क्रय करना:
आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र को क्रय करने हेतु निर्धारित सर्विस चार्ज ऑनलाईन जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र का शुल्क आवेदन में पृथक से उल्लेखित किया गया है। आवेदन प्रपत्र संबंधित आवेदनकर्ताओं को विज्ञापन ऑनलाईन जारी होने के समय एवं तारीख से प्रमुख तिथियों के अनुसार क्रय करने हेतु उपलब्ध होगी। आवेदन प्रपत्र के शुल्क का भुगतान ऑनलाईन UPI/Debit/Credit Card/Net Banking/RTGS/NEFT, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा।
- 4- आवेदन प्रपत्र तैयार एवं प्रस्तुत करना:
आवेदनकर्ता आमंत्रित आवेदन विज्ञापन/दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपने आवेदन को ऑनलाईन, वेबसाईट पर अपलोड करेगा।
 - (1) आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र भरने हेतु प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर sale of property tab पर जाना होगा। आवेदनकर्ता यदि प्रथम बार पंजीयन कर रहे हैं तो उनके मोबाईल नं. से पंजीयन करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा।
 - (2) आवेदन प्रपत्र के पंजीयन के उपरांत लाग-ईन करना होगा।
 - (3) आवेदनकर्ता को लाग-ईन के उपरांत प्राधिकारी की योजनावार विज्ञापन दिखाई देगा।
 - (4) आवेदनकर्ता जिस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उस योजना का आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
 - (5) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने के पश्चात Apply बटन पर क्लिक करने पर आवेदनकर्ता को लाटरी हेतु आवेदन प्रपत्र Display होगा।
 - (6) आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात आवेदनकर्ता को हस्ताक्षर एवं फोटो (jpg Format में) अपलोड करना होगा।
 - (7) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करने के पश्चात save का बटन दबाने पर आवेदन फार्म डाउनलोड हेतु प्राप्त होगा। जिसे डाउनलोड करने पर आवेदन प्रपत्र पर जहाँ-जहाँ हस्ताक्षर करने का लिखा हो वहा पर हस्ताक्षर एवं फोटो चिपकाना होगा।
 - (8) उपरोक्तानुसार हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रपत्र पी.डी.एफ फारमेट में स्कैन करके आवेदन प्रपत्र अपलोड करना होगा। साथ ही बिन्दु क्र. 2 आवेदन दस्तावेजके अनुसार अपलोड करना होंगे।
 - (9) आवेदन प्रपत्र एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आवेदनकर्ता को save and pay के बटन को क्लिक करना होगा। जिसके द्वारा आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र शुल्क एवं पंजीयन की राशि हेतु बैंक की वेबसाईट प्रदर्शित होगी। जहा पर

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता विभिन्न भुगतानविधियों द्वारा आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान कर सकते हैं।

- (10) यदि आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र शुल्क एवं पंजीयनराशि हेतु NEFT/RTGS का चयन करते हैं तो एक चालान जनरेट होगा जिसे प्रिन्ट कर आवेदनकर्ता किसी भी बैंक में जाकर यह चालान दिखाकर भुगतान कर सकता है।
 - (11) भुगतान पूर्ण हो जाने के पश्चात **Back** बटन प्रेस करने पर आवेदनकर्ता प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुँच जाएगा तत्पश्चात आवेदनकर्ता की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होगी।
-



इन्दौर विकास प्राधिकरण

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक : 179			विज्ञापन दिनांक : 14/08/2023					लॉटरी दिनांक : 15/09/2023		
योजना क्रमांक 136 -GULMOHAR COMPLEX (GULMOHAR COMPLEX) में आवासीय						श्रेणी अनुसार				
अ. क्र.	2/3/4 बी.एच.के प्रकोष्ठ (फ्लैट्स)	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) क्रमांक			प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का क्षेत्रफल (व.मी.) में				प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का नियत मूल्य (लाख रु.)	पंजीयन राशी (लाख रु.)
			फ्लोर	ब्लॉक / टावर न.	कार्पेट एरिया	बिल्टअप एरिया	सुपर बिल्टअप एरिया	बालकनी एरिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GENERAL (सामान्य)										
1	1BHK	A-109	1	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
2	1BHK	A-112	1	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
3	1BHK	A-113	1	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
4	1BHK	A-114	1	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
5	1BHK	A-119	1	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
6	1BHK	A-127	1	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
7	1BHK	A-137	1	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
8	1BHK	A-204	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
9	1BHK	A-208	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
10	1BHK	A-209	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
11	1BHK	A-211	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
12	1BHK	A-214	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
13	1BHK	A-216	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
14	1BHK	A-220	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
15	1BHK	A-224	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
16	1BHK	A-229	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
17	1BHK	A-230	2	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
18	1BHK	A-301	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
19	1BHK	A-308	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
20	1BHK	A-309	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
21	1BHK	A-310	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
22	1BHK	A-311	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
23	1BHK	A-315	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00



इन्दौर विकास प्राधिकरण

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक : 179

विज्ञापन दिनांक : 14/08/2023

लॉटरी दिनांक : 15/09/2023

योजना क्रमांक 136 -GULMOHAR COMPLEX (GULMOHAR COMPLEX)
में आवासीय

श्रेणी अनुसार

अ. क्र.	2/3/4 बी.एच के प्रकोष्ठ (फ्लैट्स)	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) क्रमांक	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का क्षेत्रफल (व.मी.) में						प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का नियत मूल्य (लाख रु.)	पंजीयन राशी (लाख रु.)
			फ्लोर	ब्लॉक / टावर न.	कार्पेट एरिया	बिल्टअप एरिया	सुपर बिल्टअप एरिया	बालकनी एरिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GENERAL (सामान्य)										
24	1BHK	A-316	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
25	1BHK	A-319	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
26	1BHK	A-326	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
27	1BHK	A-331	3	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
28	1BHK	A-402	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
29	1BHK	A-403	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
30	1BHK	A-404	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
31	1BHK	A-405	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
32	1BHK	A-407	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
33	1BHK	A-408	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
34	1BHK	A-412	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
35	1BHK	A-413	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
36	1BHK	A-414	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
37	1BHK	A-417	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
38	1BHK	A-418	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
39	1BHK	A-419	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
40	1BHK	A-426	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
41	1BHK	A-428	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
42	1BHK	A-429	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
43	1BHK	A-432	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
44	1BHK	A-433	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
45	1BHK	A-437	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
46	1BHK	A-438	4	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
47	1BHK	A-501	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00



इन्दौर विकास प्राधिकरण

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक : 179 विज्ञापन दिनांक : 14/08/2023 लॉटरी दिनांक : 15/09/2023

योजना क्रमांक 136 -GULMOHAR COMPLEX (GULMOHAR COMPLEX) श्रेणी अनुसार
में आवासीय

अ. क्र.	2/3/4 बी.एच के प्रकोष्ठ (फ्लैट्स)	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) क्रमांक	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का क्षेत्रफल (व.मी.) में						प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का नियत मूल्य (लाख रु.)	पंजीयन राशी (लाख रु.)
			फ्लोर	ब्लॉक / टावर न.	कार्पेट एरिया	बिल्टअप एरिया	सुपर बिल्टअप एरिया	बालकनी एरिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

GENERAL (सामान्य)

48	1BHK	A-502	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
49	1BHK	A-504	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
50	1BHK	A-505	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
51	1BHK	A-506	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
52	1BHK	A-507	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
53	1BHK	A-509	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
54	1BHK	A-510	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
55	1BHK	A-511	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
56	1BHK	A-513	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
57	1BHK	A-514	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
58	1BHK	A-515	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
59	1BHK	A-517	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
60	1BHK	A-518	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
61	1BHK	A-519	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
62	1BHK	A-520	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
63	1BHK	A-523	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
64	1BHK	A-524	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
65	1BHK	A-525	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
66	1BHK	A-528	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
67	1BHK	A-529	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
68	1BHK	A-530	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
69	1BHK	A-531	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
70	1BHK	A-532	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
71	1BHK	A-533	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00



इन्दौर विकास प्राधिकरण

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक : 179 विज्ञापन दिनांक : 14/08/2023 लॉटरी दिनांक : 15/09/2023

योजना क्रमांक 136 -GULMOHAR COMPLEX (GULMOHAR COMPLEX) श्रेणी अनुसार
में आवासीय

अ. क्र.	2/3/4 बी.एच के प्रकोष्ठ (फ्लैट्स)	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) क्रमांक	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का क्षेत्रफल (व.मी.) में						प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का नियत मूल्य (लाख रु.)	पंजीयन राशी (लाख रु.)
			फ्लोर	ब्लॉक / टावर न.	कार्पेट एरिया	बिल्टअप एरिया	सुपर बिल्टअप एरिया	बालकनी एरिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

GENERAL (सामान्य)

72	1BHK	A-534	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
73	1BHK	A-535	5	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
74	1BHK	A-601	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
75	1BHK	A-602	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
76	1BHK	A-603	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
77	1BHK	A-605	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
78	1BHK	A-606	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
79	1BHK	A-607	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
80	1BHK	A-608	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
81	1BHK	A-609	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
82	1BHK	A-610	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
83	1BHK	A-611	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
84	1BHK	A-612	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
85	1BHK	A-613	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
86	1BHK	A-614	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
87	1BHK	A-615	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
88	1BHK	A-616	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
89	1BHK	A-617	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
90	1BHK	A-618	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
91	1BHK	A-622	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
92	1BHK	A-624	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
93	1BHK	A-626	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
94	1BHK	A-628	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00
95	1BHK	A-629	6	A		45.68	61.57		1464000.00	2.00



इन्दौर विकास प्राधिकरण

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक : 179

विज्ञापन दिनांक : 14/08/2023

लॉटरी दिनांक : 15/09/2023

योजना क्रमांक 136 -GULMOHAR COMPLEX (GULMOHAR COMPLEX)
में आवासीय

श्रेणी अनुसार

अ. क्र.	2/3/4 बी.एच के प्रकोष्ठ (फ्लैट्स)	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) क्रमांक	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का क्षेत्रफल (व.मी.) में						प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का नियत मूल्य (लाख रु.)	पंजीयन राशी (लाख रु.)
			फ्लोर	ब्लॉक / टावर न.	कार्पेट एरिया	बिल्टअप एरिया	सुपर बिल्टअप एरिया	बालकनी एरिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GENERAL (सामान्य)										
96	1BHK	B-102	1	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
97	1BHK	B-107	1	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
98	1BHK	B-202	2	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
99	1BHK	B-207	2	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
100	1BHK	B-212	2	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
101	1BHK	B-218	2	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
102	1BHK	B-302	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
103	1BHK	B-303	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
104	1BHK	B-306	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
105	1BHK	B-307	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
106	1BHK	B-308	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
107	1BHK	B-309	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
108	1BHK	B-310	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
109	1BHK	B-311	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
110	1BHK	B-316	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
111	1BHK	B-317	3	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
112	1BHK	B-402	4	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
113	1BHK	B-407	4	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
114	1BHK	B-412	4	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
115	1BHK	B-418	4	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
116	1BHK	B-502	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
117	1BHK	B-503	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
118	1BHK	B-504	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
119	1BHK	B-506	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00



इन्दौर विकास प्राधिकरण

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक : 179

विज्ञापन दिनांक : 14/08/2023

लॉटरी दिनांक : 15/09/2023

योजना क्रमांक 136 -GULMOHAR COMPLEX (GULMOHAR COMPLEX)
में आवासीय

श्रेणी अनुसार

अ. क्र.	2/3/4 बी.एच के प्रकोष्ठ (फ्लैट्स)	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) क्रमांक	प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का क्षेत्रफल (व.मी.) में						प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) का नियत मूल्य (लाख रु.)	पंजीयन राशी (लाख रु.)
			फ्लोर	ब्लॉक / टावर न.	कार्पेट एरिया	बिल्टअप एरिया	सुपर बिल्टअप एरिया	बालकनी एरिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GENERAL (सामान्य)										
120	1BHK	B-507	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
121	1BHK	B-508	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
122	1BHK	B-511	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
123	1BHK	B-512	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
124	1BHK	B-513	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
125	1BHK	B-516	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
126	1BHK	B-517	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
127	1BHK	B-520	5	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
128	1BHK	B-602	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
129	1BHK	B-603	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
130	1BHK	B-604	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
131	1BHK	B-605	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
132	1BHK	B-606	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
133	1BHK	B-607	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
134	1BHK	B-608	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
135	1BHK	B-609	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
136	1BHK	B-610	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
137	1BHK	B-611	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
138	1BHK	B-612	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
139	1BHK	B-613	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
140	1BHK	B-614	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00
141	1BHK	B-615	6	B		45.68	61.57		1464000.00	2.00



श्री शिवराज सिंह जी चौहान
मान. मुख्यमंत्री (मध्यप्रदेश)

विज्ञापन क्र. 179

दिनांक : 14.08.2023

योजना क्रमांक 136 में गुलमोहर काम्प्लेक्स में 141 आवासीय उपयोग के प्रकोष्ठों को भू-स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्यूटर द्वारा लाटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन लगातार छः माह तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्रकोष्ठों का विवरण निम्नानुसार है-

अ.क्र.	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया व.मी.में.	कारपेट एरिया व.मी.में.	प्रकोष्ठ की नियत मूल्य रु. लाख में	पंजीयन राशि रु. लाख में
1	1-BHK	141	आवेदन फार्म में संलग्न सूची अनुसार	61.57	36.87	14.64	2.00



ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण दिनांक

लोकेशन हेतु स्कैन करें

अ.क्र.	विवरण	पहली लॉटरी	दूसरी लॉटरी	तीसरी लॉटरी	चौथी लॉटरी	पाँचवी लॉटरी	छठी लॉटरी	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	17-08-2023	20-09-2023	25-10-2023	30-11-2023	05-01-2024	09-02-2024	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	31-08-2023	10-10-2023	09-11-2023	18-12-2023	24-01-2024	29-02-2024	17:30 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	05-09-2023	12-10-2023	14-11-2023	20-12-2023	29-01-2024	04-03-2024	11:30 hrs
4	लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	15-09-2023	20-10-2023	24-11-2023	29-12-2023	05-02-2024	11-03-2024	16:00 hrs

नोट :-

- लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते हैं।
- लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठों के चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र एवं सभी डाक्यूमेंट की प्रति स्केनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- लॉटरी पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदक, आवेदन करने के पूर्व मौका निरीक्षण/प्रकोष्ठ का अवलोकन कर पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिति में दिया जावेगा।
- तल मंजिल पर दो पहिया वाहन पार्किंग, भूमिगत व उच्चस्तरीय पानी की टंकी, नर्मदा लाईन से जलप्रदाय की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चौकी की सुविधा।
- योजना का रेशा रजिस्ट्रेशन क्रमांक P-IND-17-352 Date 07-09-2017 है।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल मे मो. 9893699113 पर संपर्क करें।
प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।